

पत्रांक 10/न 4 - 06/10

586

बिहार सरकार

मानव सहायन विकास विभाग

उपरोक्त

ओम्कार माध्यम आर्ट
उप विद्यालय

पत्रांक

आदेश
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केंद्र 2 कम्युनिटी सेंटर,
नई दिल्ली - 110092।

पटना, दिनांक - 29/06/10

विषय

एम०एस० मेमोरियल एकेडमी, रुकुनपुरा, बेलीरोड, पटना को अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाराज

उपरोक्त विषय के संबंध में निर्देशानुसार सूचित करना है कि सरकारी अधिसूचना सं० - 238 दिनांक - 03.04.2006 के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना से प्राप्त प्रतिवेदन एवं विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराए गये कागजात की समीक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु गठित विभागीय समिति द्वारा दी गई तथा एम०एस० मेमोरियल एकेडमी, रुकुनपुरा, बेलीरोड, पटना को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

समिति की अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरान्त रिपोर्ट निम्नवत है -

1. यह विद्यालय एम०एस० मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के अधीन संचालित है। इस ट्रस्ट में किसी एक व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नहीं है। सोसाईटी के प्रत्येक सदस्य का धीरा दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया है।
2. विद्यालय ने किसी निबंधित सोसाईटी/न्यास के फ्रेंचाईजी अथवा किसी विद्यालय के ब्रांड नाम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।
3. विद्यालय को सी०बी०एस०ई० के मानक के अनुरूप भूमि उपलब्ध है। विद्यालय को पर्याप्त लाइब्रेरी, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला भी उपलब्ध है। केंद्रीय शिक्षा बोर्ड को स्थित निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधाएँ बोर्ड के मानक के अनुरूप हैं।
4. विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर विहित प्रक्रिया के द्वारा किया गया है। परन्तु ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे यह स्पष्ट हो कि नियुक्ति में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पारदर्शिता बरती गयी है। विद्यालय में 16 शिक्षक हैं। सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की योग्यता प्रशिक्षण राष्ट्रीय आयोग शिक्षा परिषद के मापदण्डों के अनुरूप है।
5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।
6. विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई करे। इससे सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।
7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गई है कि उसे विभागीय अधिसूचना सं० - 238 दिनांक - 03.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्तें स्वीकार हैं।

अपेक्षित शर्तों के अनुसार -

विद्यालय में समता का 25 प्रतिशत नामांकन पड़ोश में निवास करने वाले बच्चों का नि:शुल्क किया जाएगा तथा उनसे दृष्टान्त शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनु० प्राप्ति अनु० जनजाति

M. S. MEMORIAL ACADEMY

CHAIRMAN

Principal
M. S. MEMORIAL ACADEMY
Rukunpura Bailey Road, Patna

M. S. MEMORIAL ACADEMY
Rukunpura Bailey Road, Patna

- वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकाए तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय अधिकतम 60,000/-रु० प्रति वर्ष होगे को रखा गया है।
- (ii) विद्यालय में नर्सरी/कै०जी० अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एव माता/पिता सहित) नहीं लिया जाएगा अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुल करिवा से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जाएगा।
- (iii) Dean of Lois के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जाएगा। नर्सरी/कै०जी० तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक कि०मी० एव उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक कक्षा का नामांकन हेतु अधिकतम दूरी तीन कि०मी० तक रहेगी।
- (iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है, उनसे लिई गई आवेदन शुल्क का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

8 यद्यपि की विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारी के द्वारा किया गया है फिर भी सी०वी०एस०ई० नई दिल्ली अपने स्तर से जांच कर सुनिश्चित हो ले कि विद्यालय उनके निर्धारित माप दंड के आधार पर संचालित है।

9 साथ ही बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एव अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल यह शर्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख प्रोसपेक्टस एव वेबसाईट में करना होगा। शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जाएगा तथा सबद्धन रद्द करने की कार्यवाई की जाएगी।

10 विभागीय पत्राक - 46 दिनाक - 18.01.2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों का शारीरिक दंड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11 विद्यालय विहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के नियत्री पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

12 उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में तथा वर्णित शर्तों के आधार पर एम०एस० मेमोरियल एकेडमी, रुकनपुरा, बेलीरोड, पटना को सी०वी०एस०ई० नई दिल्ली से सवद्धता हेतु इस शर्त के साथ अनापत्ति प्रमाण-पत्र दी जाती है कि विद्यालय 15 दिनाक के अंदर 75 डिग्रामील भूमि का अपेक्षित कागजात जमा करेगे।

अनु०- जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना का जांच प्रतिवेदन सलग्न।

विश्वासभाजन

ह०/-

(ओंकार नाथ आर्य)

उप सचिव

पटना, दिनाक

420 दिनाक 11.03.10

जापाक

प्रतिलिपि - जिला शिक्षा पदाधिकारी ~~577~~ को उनके पत्राक प्रमाण में सूचनाएँ एव आवश्यक कार्याएँ प्रेषित।

ह०/-

(ओंकार नाथ आर्य)

उप सचिव

पटना, दिनाक 29/06/10

पटना को सूचनाएँ

जापाक

प्रतिलिपि - प्राचार्य, एम०एस० मेमोरियल एकेडमी, रुकनपुरा, बेलीरोड, पटना को सूचनाएँ एव आवश्यक कार्याएँ प्रेषित।

UPandey
Principal

M. S. MEMORIAL ACADEMY
Rukunpura Bailey Road, Patna

M. S. MEMORIAL ACADEMY

CHAIRMAN

(ओंकार नाथ आर्य)

उप सचिव



Principal

M. S. MEMORIAL ACADEMY
Rukunpura Bailey Road, Patna

M S MEMORIAL ACADMY
Rukunpura Bailey Road, Patna